भारत सरकार का रूप पत्र

कार्यालयःजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,इटावा।

पत्रांकःव०स०/मान्यता//233-38

/2018-19 दिनांक 95-5-20/9

सुदिति ग्लोबल एकेडमी

नंगला ललू, फुलरई, (जसवन्तनगर), इटावा।

विषय:— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 11.02.2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सुदिति ग्लोबल एकेडमी,नंगला ललू,फुलरई,(जसवन्तनगर),इटावा को तारीख 01.04.2019 से तीन वर्ष की अविध के लिए कक्षा प्री०प्रा० से 08 तक के लिए औपबंधिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विविधित नहीं है।
- 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009(उपाबन्ध—1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध—2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय कक्षा—1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:—
- (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी भी बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किय गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पाँच बर्ष की अविद्य के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तत्यों का पालन करता है और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।
- 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की प्रसुविधायें निम्नानुसार है—
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-

कुल निर्मित क्षेत्रफल-

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल-

कक्षाओं की संख्या-

5716.00 वर्गमीटर(बहुमंजिल)

3214.00 वर्गमीटर प्री०प्रा० से ०८

प्राध्यापक—सह कार्यालय सह—भंडागार के लिए कक्ष— 01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-06, 06

पेयजल सुविधा-

आर०ओ०,सबमर्सिबल पम्प टंकी सहित।

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-

बाधारहित पहॅच-

है।

- अध्यापन पठन सामग्री /क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त 9. कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास 10. के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत 11. किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए 12. नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके 13. द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आवंटित / मान्यता कोड संख्या 1233-38 25.5.2019 है। कृपया इसे 14. नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार केलिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तृत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला 15. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्ती के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये। 16.

सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त। 17.

उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:419/79-6-2013-18(20)/91 अनुभाग-6 दिनांक 08.05.2013 के क्रम में आप द्वारा मान्यता हेतु प्रेषित पत्रावली में उपलब्ध पत्राजातों तथा जॉच अधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक 16.02.2019 एवं 23.03.2019 के आधार पर मान्यता समिति की बैठक दिनांक 25.03. 2019 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप द्वारा प्रेषित पत्राजातों में यदि कोई भिन्नता / तथ्यगोपन पाया जाता है तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

> (अजय कुमार सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

(रामेन्द्र कुमार सिंह)

वरिष्ठ सहायक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार— प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ०प्र०,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद। 1.

सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० इलाहाबाद। 2.

सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद। 3.

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,कानपुर मण्डल,कानपुर। 4.

खण्ड शिक्षा अधिकारी जसवन्तनगर, इटावा। 5.

जिला बेसिकं शिक्षा अधिकारी इटावा।